



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 2]

नई दिल्ली, जनवरी 8—जनवरी 14, 2017, शनिवार/पौष 18—पौष 24, 1938

No. 2]

NEW DELHI, JANUARY 8—JANUARY 14, 2017, SATURDAY/ PAUSA 18—PAUSA 24, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

का.आ. 66.—केन्द्र सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब सरकार, गृह विभाग, गृह-4 शाखा चण्डीगढ़ की सहमति से दिनांक 11.09.2016 की अधिसूचना सं. 7/105/2016-4एच/1669 द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं.45) की धारा 302, 34, 120-बी और सशस्त्र अधिनियम [अर्थात् सशस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 (1959 का अधिनियम 54) की धाराओं 25/27/54/59 के अधीन पुलिस स्टेशन साहनेवाल, जिला लुधियाना की एफआईआर सं.74, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं.45) 302, 120-बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 की अधिनियम सं. 6 की धारा 3,4 तथा 5 के अधीन) की धारा 3,4 तथा 5 के अधीन दिनांक 04.12.2015 की एफआईआर 185 पुलिस स्टेशन मकसूदन, जिला जालंधर और पुलिस स्टेशन कूम कलां, जिला लुधियाना, पंजाब और भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं.45) की धारा सशस्त्र अधिनियम, 1959 [सशस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 (1959 का अधिनियम 54) की धाराओं 25/27/54/59 के अधीन दिनांक 04.04.2016 की एफआईआर सं. 30 से संबंधित मामलों का अन्वेषण करने और हत्याओं की उक्त

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

का.आ. 109.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 जनवरी, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध पश्चिम बंगाल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“पूर्व मिदनापुर जिले (पश्चिम बंगाल) के सभी क्षेत्र/संपूर्ण क्षेत्र” ।

[सं. एस-38013/48/2016-एसएस-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2017

S.O. 109.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st January, 2017 as the date on which the provisions of Chapter-IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Areas in the State of West Bengal namely :—

“All the areas of the District East Midnapore, West Bengal.”

[No. S-38013/48/2016-SS-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

का.आ. 110.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 जनवरी, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्रमांक	जिले का नाम	क्रमांक	जिले का नाम	क्रमांक	जिले का नाम
1	आगरा	15	गौतम बुद्ध नगर	29	मिर्जापुर
2	अलीगढ़	16	गाजियाबाद	30	मुरादाबाद
3	इलाहाबाद	17	गाजीपुर	31	मुजफ्फरनगर
4	अमेठी	18	गौरखपुर	32	रायबरेली
5	अमरोहा	19	हापुड	33	रामपुर
6	बाराबंकी	20	हरदोई	34	सहारनपुर
7	बरेली	21	हाथरस	35	संत कबीर नगर
8	बिजनौर	22	झांसी	36	संत रबीदास नगर
9	बुलंदशहर	23	कानपुर देहात	37	शाहजहांपुर
10	चंदौली	24	कानपुर नगर	38	सीतापुर
11	इटावा	25	लखनऊ	39	सोनभद्र
12	फरुखाबाद	26	मथुरा	40	उन्नाव
13	फतेहपुर	27	मउनाथ भंजन	41	वाराणसी
14	फिरोजाबाद	28	मेरठ		

[सं. एस-38013/49/2016-एसएस-I]

अजय मलिक, अवर सचिव